RAJYA SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Short Duration Discussion on striking down of the IMDT Act by the Supreme Court. Shri Pramod Mahajan.

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation Arising Out of Striking Down of IMDT Act by the Supreme Court

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, आखिर आई.एम.डी.टी.की चर्चा की इस सदन में मुहूर्त मिल ही गया । लोक सभा में इस विषय पर चर्चा 26 जुलाई को की । हम तो चाहते थे कि इसके साथ –साथ राज्य सभा में चर्चा हो लेकिन धीरे –धीरे लगभग अंतिम सप्ताह आ गया, भले देर से क्यों नहीं हो लेकिन इस विषय पर मुझे तथा सदन को विचार करने के लिए आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

12 जुलाई, 2005 को उच्चतम न्यायालय ने एक एतिहासिक फैसला दिया कि 21-22 साल पुराना कानून जिसके संबंध में खास कर असम में असंतोष का परिस्फुट होता रहा, उस आई.एम.डी.टी. एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को रद्द कर दिया। असम गण परिषद के लोक सभा सदस्य सर्वानन सोनवाल की एक यचिका को उन्होंने स्वीकार किया और आई.एम.डी.टी.एक्ट को रद्द किया।

[श्री सभापति पीठासीन हुए]

चर्चा के पहले मैं असम गण परिषद के सदस्य सर्वानन सोनवाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि वर्षों का आंदोलन जो कर नहीं सका, राज्य सभा में स्पष्ट बहुमत के अभाव में हम जिसे कर नहीं सके : वर्ष के निरन्तर प्रयास के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसे उद्देश्य को प्राप्त किया । और मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजनीतिक चक्रव्यूह में अटका हुआ यह आई.एम.डी.टी. कानून अन्तत: उन्होंने समाप्त किया । इसके कारण सारे असम में तो मानो खुशी की लहर बह गई, लोगों ने लभगभ दीवाली मनाई लेकिन हां, कुछ लोग नाराज हुए । इस देश में जो अवैध घुसपैठिए आए है वे नाराज हुए और उनके आधार जो राजनीति करना चाहते है , ऐसे राजनीतिक दल भी नाराज हुए और चूंकि यही राजनीतिक दल अपने संसदीय बहुमत का दुरूपयोग करते हुए इस आई.एम. डी.टी . कानून को लाए थे । और आज उनके फिर से सत्तीसीन होने के कारण हमें यह डर लगा कि इस काले कानून को फिर से लाने की संभावना हो सकती है । इसलिए इस चर्चा का प्रयोजन

RAJYA SABHA

है, इसकी आवश्यकता है। सभापति महोदय, इस कानून के नाम का इस कानून से कोई संबंध नहीं है पढ़ने में तो लगता है कि बहुत अच्छा नाम है आई एम.डी.टी. इल्लीगल माइग्रेंट्स डिटरमिनेशन बाय ट्रिव्यूनल – किसी को भी लगेगा कि अगर अवैध घुसपैठिए आते है और प्राधिकरण के द्वारा उनकी पहचान करके उनको हटाने का प्रयास करने का कानून होता है तो ऐसे कानून के रद्द करने पर खुशी क्यों ? लेकिन हिन्दुस्तान में कुछ कानून ऐसे हैजिनके नाम और काम में ज़मीन – आसमान का अंतर है । इसी कानून के दो – तीन साल के बाद एक और कानून हमारे देश में आया था, जिसका नाम था –मुस्लिम वीमेन प्रोटैक्शन एक्ट । प्रसिद्ध शाह बानो केस के बाद, जिसमें मुस्लिम महिला को सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया था , उस न्याय का अन्याय में बदलने का जो कानून था, उसका शीर्षक था – मुस्लिम वीमेन प्रोटैक्शन ऐक्ट । उसी प्रकार यह जो आई. एम.डी.टी था इसके बारे में शुरू से – सौभाग्य से आप भी बैठे है, विपक्ष के नेता है और इसलिए भाषण के लिए जब मैं अध्ययन कर रहा था तो -1983 में भी, जब यह कानून इस सदन में परित हुआ , तब भी –आज जो विपक्ष के नेता है, जंसवत सिंह जी – उन्होंने उसका कडा विरोध किया था । इसलिए हमने हमेशा यह कहा था कि इसका नाम कोई भी हो, इसका नाम अलग है। केवल इसकी प्रस्तावना और जिसे हम कानून की भाषा में एस.ओ.आर. कहते है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, यह अगर छोड़ दें तो इसमें इल्लीगल इमीग्रेंट के खिलाफ, अवैध घुसपैठिए के खिलाफ कुछ भी नहीं है । उल्टा, यह कानून It is not to determine but to legalise the illegal immigrants. तब शायद किसी ने भरोसा नहीं किया । असम में बार-बार यह मांग होती रही , किसी ने भरोसा नहीं किया। लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने उसी मुद्दे को मानते हुए यह कानून निरस्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, यह पूरा पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके तीन छोटे –छोटे परिच्छेद मैं चर्चा के लिए पढ़ना आवश्यक समझता हूं । उच्चतम न्यायालय ने एक स्थान पर कहा है कि This IMDT Act, 1983 has created the biggest hurdle and is the main impediment or barrier in the identification and deportation of illegal immigrants. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसके लिए बना, उसके लिए कानून है ही नहीं। दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट कहता है कि Deep analysis of IMDT Act and Rules made thereunder, would reveal that they have been purposefully so enacted and made as to give shelter or protection to illegal immigrants who came to Assam from Bangladesh on or after 25th of March, 1971, rather than to identify and report them, तीसरा परिच्छेद The IMDT Act is not only ineffective in dealing with illegal immigrants, it actually gives them protection as the proceedings initiated against them almost entirely end in their favour, and so, enable them to have a document, official sanctity to the effect that they are not

[22 August, 2005]

illegal immigrants. मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बहुत सारे कानूनों को निरस्त किया होगा, किसी को उन्होंने संविधान के दायरे में नहीं पाया होगा, किसी को गलत पाया होगा, लेकिन जिस प्रकार की कड़वी आलोचना, इसको निरस्त करते समय सुप्रीम कोर्ट ने की है, लगभग इसके पूरे उद्देश्य पर प्रश्न –चिन्ह लगायाहै, शायद किसी कानून के बारे में नहीं किया होगा। कभी हम सोंचेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने इतने कटू शब्द इसके लिए उपयोग में क्यों लाए ? क्या इसका उद्देश्य था ? हम सब जानते है कि 25 मार्च , 1971 को बंगलादेश की निर्मात्री श्रीमती इंदिरा गांधी और मजीब के बीच में एक समझौता हुआ था। माना गया कि उसके बाद कोई आएगा नहीं , तब तक जो आए, वे ठीक है । उस समझौते के बाद, 1983 में कानून बनने तक और कानून बनाने के बाद 21 साल तक इतने लोग आते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सबको इल्लीगल से लीगन बनाने का काम यह कानून करता रहा है । अब इसमें क्या दोष थे, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट को लगा- एक –एक वाक्य में मैं कहंगा। यह दुनिया का ऐसा अद भुत कानुन है, जिसमें अवैध घुसपैठिए कौन है, यह ढूंढना का सरकार का नहीं, नागरिकों का काम है। नागरिक केवल ढंढेगा ही नही शिकायत करना भी सरकार का काम नहीं है , उस नागरिक का काम है । अच्छा, शिकायत करते समय भी उस शिकायतकर्ता नागरिक को यह सिद्ध करना पडेगा कि यह अवैध घुसपैठिया है । अब सिद्ध करने में महीने – दो महीने लगते है, तब तक ये लोग भाग जाते है , पता बदल लेते है । तो उस बेचारे शिकायतकता को उस पर नजर रखनी पडेगी कि जब तक फैसला न हो, तब तक वह कहीं भाग नहीं और मान लीजिए, शिकायतकर्ता की इतनी सारी मेहनत सफल होने के बाद, अगर वह ट्रिब्यूनल घोषित करे कि यह अवैध घूसपैठिया है, तो उसको भारत छोड़ने के लिए तीस दिन दिए जाते है और उस पर निगरानी रखने का काम भी पुलिस नहीं करती, उसे अरेस्ट नहीं करती। यह भी उसी शिकायतकर्ता को करना पडेगा कि तीन दिन वह ध्यान रखे और तीन दिन उस पर नज़र रखने के बाद अगर सरकार पकडकर उसे बंगलादेश भेजती है तो भगवान जाने क्या भरोसा वह वापस कैसे आएगा या नहीं आएगा ?

सभापति जी, कानून और उसके इन नियमों के अंतर्गत सामान्य व्यक्ति क्या, भगवान भी असम की धरती पर उत्तर आए, तो इसके लिए किसी अवैध घुसपैठिए को पकड़कर बंगलादेश भेजना संभव नहीं है और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1983 से 2005 तक हम लोगों ने कितने लोगों को भेजा ? केवल 1300 को । खर्चा कितना हुआ, इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है । कुछ करोड़ तो खर्च हुए ही होंगे । करोडों का खर्चा करके सैकड़ों में लोग भेजे

RAJYA SABHA

गए। कभी –कभी तो मुझे लगता है कि यह ट्रिब्यूनल न बनता, खर्चा न होता और इन 1300 लोगों को ये करोड़ रूपए बांटकर दे देते तो वे खुद ही बंगलादेश जाकर अपनी दुकान चला लेते। उसके लिए इतना सारा झमेला करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी और इसलिए इस कानून को रद करना, मैं समझता हूं कि आवश्यक था। अब जो पहली बार इस कानून को सुन रहा होगा और तटस्थता से सुन रहा होगा, उसको लगेगा किऐसे कैसे कानून पास किया? यह कोई कानून है ? यह तो कानून का मज़ाक है। तो आपको, हमको , सबको आश्चर्य होगा कि यह कानून आया कैसें ? मैं थोड़ी इसकी जन्मकुंडली बताना चाहता हूं कि इसका जन्म कैसे हुआ ? इसके यह –नक्षत्र कहां क्या थें ?

सभापति जी विदेशी अगर इस देश में घुसता है, तो उसको निकालने के लिए हमारे यहां पहले से फॉरेनर ऐक्ट था। उसके लिए अलग आई.एम.डी.टी . एक्ट कीआवश्यकता नहीं थी। अगर विदेशी घुस गया तो सरकार फोरनर एक्ट के तहत उस पर कार्यवाही करे और उसको वापस भेज दे। अब कोई यह कह सकता है कि प्रमोद आपको कानून का तो ज्ञान है नहीं है, इस फारेनर एक्ट में बहुत कमियां थीं इसलिए हम IMDT एक्ट लाए। बहुत अच्छा, मुझे तो ज्ञान नहीं है, कमियां होंगी, इसलिए IMDT एक्ट लाए । सभापति महोदय, मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि यह IMDT एक्ट बना पूरे देश के लिए था, लेकिन लगा सिर्फ असम में । यह असम में ही_क्यों लगा ? अगर फारेनर एक्ट गलत था और IMDT एक्ट ठीक था , तो हमारे बड़े विद्वान साथी श्री आनन्द जी यहां पर बैठे है, शायद वे जानकरी दे दें। मुझे मालुम नहीं कि दुनिया में ऐसा देश है,अज्ञान के लिए मैं क्षमा चाहता हूं,जहां इम्मीग्रेशन पर दो अलग-अलग कानून एक ही देश में हों । अगर असम में पकड़ना है तो IMDT एक्ट में पकड़ो, बंगाल में पकड़ना है तो फारेनर एक्ट में पकड़ो । मुझे नहीं लगता की दुनिया के किसी देश में एक काम के लिए दो कानून अमल में आते हों । लोगों को यह लगा कि असम के लिए अलग कानून क्यों बना, स्वाभाविक है, इसका एक कारण यह है कि असम में बंगलादेश से लोग भर-भर कर यहां आए । वहां प्रांतों में आज जो इतनी बड़ी समस्या है, शायद इतनी बड़ी समस्या 1983 में भी नहीं थी, इसलिए बना होगा। जिन्होंने यह कानून बनाया है, उन्होंने यह तर्क दिया कि जो भारत का असली नागरिक है और खासकर जो अल्पसंख्यक है, उस पर अन्याय न हो , इसलिए IMDT एक्ट की आवश्यकता है । यह कितना सत्य है और कितना असत्य है, मैं नहीं जानता और मैं कहने वाले की ईमानदारी को चुनौती भी नहीं देता हूं । लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हमको अल्पसंख्यको की इतनी ही चिंता है तो हम असम के ही अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता क्यों करते है, हमको बंगाल के अल्पसंख्यकों की भी चिंता करनी चाहिए, दिल्ली का भी करनी चाहिए । यदि अल्पसंख्यको को सुरक्षा देने वाला कानून है तो इसे भी तो सारे देश में लगा देते । हम यह

समझते है कि असम में जो अल्पसंख्यकों पर अन्याय नहीं होना चाहिए , बाकी देश में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता । यह तर्क बड़े – बड़े नेताओं ने दिया है, दूसरे सदन में चर्चा में भी दिया कि IMDT एक्ट का दुरूप्रयोग हो रहा था और दुरूप्रयोग में खासकर जो अल्पसंख्यक माइनोरिटी तबके के लोग थे, उन्हीं को परेशान किया जा रहा था , मैं कभी सोचता हूं कि अगर असम में माइनोरिटी के लोगों को कोई परेशान कर रहा था तो कौन कर रहा था ? 1971 से 1983 तक, थोडा 1977 का अपवाद छोड दें तो भाजपा तो 1980 में बनी थी, तब हमारी सरकार नहीं थी, जनसंघ की नहीं थी, आर.एस.एस. की नहीं थी, हममें से किसी की भी सरकार नहीं थी तो किस की सरकार थी जिसके आफिसर फारेनर एक्ट के अतंर्गत माइनोरिटी को कष्ट दे रहे थे ? वे कम से कम कूबूल तो कर लें कि भाई जब हमारी सरकार चल रही थी तो हमारे आफिसर माइनोरिटी को तकलीफ दे रहे थे, इसलिए हमको लगता है कि यह कानून बदलना चाहिए । क्योंकि हम अफसरों पर तो कंटोल नहीं कर पाते इसलिए हम कानून में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे । इसलिए ये जो तर्क दिए जाते है, बेमानी है । इसका रहस्य यह है कि 71 के बाद असम में जिस प्रकार की घुसपैठ हुई और जितनी भारी मात्रा में हुई 79 में असम में घुसपैठ के विरोध में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन हुआ था । 1980 की लोक सभा में 14 में से 12 स्थानों पर चुनाव नहीं हो सका, क्योंकि लोग पर्चा दाखिल नहीं कर सके । इतना ही नहीं 1983 में जब विधानसभा काचूनाव हुआ तो पूरे प्रदेश में 20-21 प्रतिशत से ज्यादा लोग मतदान के लिए नहीं आए । असम में आंदोलन का सबसे अधिक शहीद बलिदान का समय इसी समय आया, तब शायद जो सत्तीसीन थे उनको लगा कि इस अवस्था में असम हमारे पास नहीं रहेगा । उनको आने वाले तुफान की आहट हुई । उन्हें खोता जनाधार दिखाई देने लगा सदा के लिए असम में राजनैतिक दृष्टियां खोने का भय सताने लगा और जब यह भय सताने लगा तो नए जनाधार की आवश्यकता पडी । जब नए जनाधार ढंढने शरू हए , नई ऑगमेन्ट शुरू की तो इसे अपनों में नहीं ढूंढा, परायों में ढूंढा । यह सोचा कि अवैध घुसपैठिए को अगर वैध बनाने का कोई कानून बन जाए कम से कम उन्हें नहीं निकालने का कानून बन जाए तो अपना जनाधार उसके आधार पर पक्का लगेगा और यही कारण है कि आई.एम.डी.टी का जन्म हुआ । सभापति जी इसलिए, अब जो आई.एम.डी.टी. निरस्त हुआ । सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है । जहां तक सरकार का प्रश्न है, वह किसी भी प्रश्न पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना सकती है। मैं उनके इस अधिकार को तो चुनौती नहीं देता कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्यों बनाया है । आप जरूर बनाएं । इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बनाने के मद्दे पर आपति नहीं है , भय यह है कि इसके पीछे मंशा ठीक नहीं है, भय यह है कि इसके पीछे इरादे ठीक नहीं है, भय यह है कि आई.एम.डी.टी. के मैंने दस मिनट में जो कारण गिनाए है, इन कारणों के कारण सुप्रीम कोर्ट

RAJYA SABHA

ने निरस्त कर दिया है । उसी आई.एम.डी.टी. के कानून को किसी न किसी और फेस में, किसी और रूप में असम पर थोपने की इच्छा इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पीछे दिखाई देती है। मेरी चूनौती देने की ताकत नहीं है, बहुमत उनका है, वे जो चाहे कर सकते है, लेकिन मैं वर्तमान सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब आई.एम.डी.टी को भूल जाओ । अब निरस्त हो गया , पीछे के दरवाजे से इसे लाने की कोशिश मत करो । जो आपने मुस्लिम वूमेन प्रोटैक्शन एक्ट " में किया वह यहां फिर से मत कीजिए । अब जो बचे हुए कानून हमारे पास है उसके आधार पर घूसपैठी तय करो । अगर ऐसा नहीं करोगे तो शायद पिछले आंदोलन से बड़े आंदोलन के लिए असम और देश की जनता को तैयार रहना पड़ेगा। सभापति जी, हम संसद की सार्वभौमिकता में विश्वास रखते है। मैं जानता हू कि सविंधान के दायरे में संसद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर सकती है । वह आई.एम.डी.टी के पार्थिव शरीर में फिर से प्राण भर सकती है । वह उसका अधिकार है । वह थोडा बहुत बदलकर कर सकती है। पांच –दस साल फिर कोर्ट में चले जाएंगें , लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा करना सरासर गलत होगा । अगर 1983 में गलती हुई है तो सरकार इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाए , सरकार इसे अपने सम्मान का विषय न बनाए, सरकार इसे असम के चुनाव का विषय न बनाए । कम से कम एक बार इस काले कानून से छूटकारा मिला है , इसलिए इसे और किसी परिवेश में लाने प्रयास न करे ।

सभापति जी , अवैध घुसपैठ , यह राजनैतिक मद्दा नहीं है , यह एक राष्ट्रीय समस्या है। सदन में बहत बार कितने आए, क्या आए हम इस पर बहस करते है । सच या न सच बोलते है, लेकिन बाहर इसके बारे में सारी दुनिया जानती है। असम के किसी भी गांव में हम चले जाएं तो लोग कहते है कि यह बांग्लादेशी बस्ती है. बांग्ला बस्ती नहीं है. वे कहते है कि बांग्लादेशी बस्ती है, मैं नहीं समझता कि अगर हम बांग्लादेश में कहीं जाएं तो कोई हमें यह बताएगा कि यह हिन्दुस्तानी बस्ती है । यह कोई नहीं बताएगा । अगर ऐसा है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट है । इसलिए इस पर एक राष्ट्रीय सहमति निर्माण करने का प्रयास करना पड़ेगा । राजनीति को छोड़कर करना पड़ेगा । कौन इससे इंकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में घुसपैठिए है । सात – आठ साल पहले तत्कालीन गृहमंत्री माननीय इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा था कि एक करोड़ है । अभी –अभी कृछ दिन पहले मेरे सम्माननीय मंत्री , परम मित्र श्री प्रकाश जी ने कहा था कि दो ढाई करोड़ है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो मैने हियरसे पर कहा था। इसके आधार पर हमारा कोई कैल्कुयुलेशन या सेन्सस नहीं है, इसलिए मैंने जो बताया था, वह गलत है । सही गलत छोड़ दीजिए , सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की 2 प्रतिशत आबादी इन अवैध घुसपैठियों से भरी है । सारी दुनिया जानती है कि जो हमारे बंगला देश से पड़े हुए सीमावर्ती प्रांत है, उनमें 10-12 प्रतिशत घुसपैठियों घुस गए है

[22 August, 2005] RAJYASABHA

और असम में तो कुछ जिले ऐसे है, जहां यह आबादी 25से 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। दुर्भाग्य से इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जब सीमावर्ती प्रांतों में, सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार की स्थिति बनती है और अल्पमत, बहुमत में बदलता है, जब democratic changes होते है, तो क्या हालत होगी ?

सभापति जी, यह 2005 है, यह बंग-भंग की जन्म –शताब्दी है, 1905 में बंगाल टूटा था। यह समस्या तब शुरू हूई थी, तो तब हम जागरूक थे, कम से कम हमने 1912 में उसको इकट्टा किया,लेकिन अगर हम 2005 में 10-5 सीटें और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करते रहें, तो इन सीमावर्ती सारे जिलों में यह बहुमत होगा। मैं बंगला देश के कितने नेताओं के नाम गिनाऊं , भुट्टों से लेकर मुजीब तक सब कह चुके है कि घर छोटा है, आबादी बड़ी है , हमको कहीं न कहीं तो घर ढूंढना पड़ेगा। अगर यह हो जाए , तो कहीं हम देश को तीसरे बंटवारे की ओर तो नहीं ले जा रहे है ? मैं नही समझता कि यहां किसी के मन में दूर –दूर तक यह इच्छा है अगर यह इच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस खतरे की ओर राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखना पड़ेगा।

सभापति जी, इसके साथ –साथ मैं यह अगर इस समस्या का समाधान ढूंढना है, तो सबसे पहले हमको अवैध घुसपैठिए और शरणार्थी , इन दोनों में फर्क करना पड़ेगा Illegal Immigrant and refugee एक नहीं होते । दुनिया भर के कानून में इनमें अंतर किया जाता है । Illega Immigrant वह होता है, जो अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण दूसरे देश में प्रवेश करता है । निजी स्वार्थ, दूसरे देश का धार्मिक संतूलन बिगाड़ने से लेकर खुद का पेट भरने तक कुछ भी हो सकता है। शरणार्थी या refugee वह होता है, जिसको उस देश में इतना परेशान किया जाता है कि वह उस देश में रह नहीं सकता, इसलिए वह अपने देश को छोड़कर पड़ोस के देश में चला जाता है। अब इन दोनों में अगर मैं फर्क करता हूं तो कोई भी मुझ पर आरोप लगा सकता कि प्रमोद, यह फर्क तुम मुसलमान और हिंदू में कर रहे हो । यह सच है, लेकिन मैं करूं क्या कि देश का बंटवारा धंर्म के आधार पर हुआ था , मैं करूं क्या कि बंगला देश में मुसलमानों की आबादी सर्वाधिक है मैं करूं क्या कि बंगला देश मे हिंदूं अल्पसंख्यक है, मै करूं क्या कि इन अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां इतना परेशान किया जाता है वह बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए दौड़ता है । वह मेरी गलती नहीं है । मैं इसको हिंदु –मुसलमान के रूप में नहीं देख रहा हूं । इसलिए आज इस सदन में हम प्रामणिकता से कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं अगर असम की भाषा में बोलना है, तो जो असमिया मुसलमान है, वह इस देश का है । वर्ष 1947 में बंटवारा हुआ ओर धर्म के आधार पर देश बना । पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर इस्लाम मांगा , तब जो मुसलमान वहां नहीं गया, यहीं रहा और इस देश को अपनी मातुभूमि समझकर

RAJYA SABHA

रहा, उसका इस देश पर उतना ही अधिकार है, जितना मेरा है इसलिए उसके इस अधिकार को मैं कोई चुनौती नहीं देता और किसी भी कानून में अगर उसको कष्ट होता है, तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बंगला देश का जो मुसलमान बंधु है, उसका इस देश पर कोई आधिकार नहीं है, अब घर बटा, दोनों भाइयो ने घर बांट लिया, लेकिन रोज बच्चों को हमारे यहां खेलने भेज रहे हो, यह तो कोई हिसाब नहीं हुआ, यह तो कोई न्याय नहीं हुआ। आप अपना देश चलाओं, अपने देश में चाहे जो करो, हमें कोई आपति नहीं है। इसलिए मैं यह समझता हं कि यह फर्क करना जरूरी है।

पाकिस्तान और बंगला देश में क्या होता था ? जब देश का बंटवारा हआ , तब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लियाकत जी के साथ एक समझौता किया था और इस समझौते के अंतर्गत यह माना गया था कि एक –दूसरे के देश में जो अल्पसंख्यक है,इसका मतलब है कि जो भारत में मुसलमान है और वहाँ जो हिंदू है , उनकी हिफाज़त करना उन देशों का कर्तव्य है । मैं इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिदूं कितने थे, आज कितने है ? जब बंटवारा हुआ तो पूर्व – पाकिस्तान आज के बंगलादेश में मुसलमान कितने थे , हिंदूं कितने थे और आज किंतने है? अगर ये शरणार्थी आ रहे है , तो ये शरणार्थी जाएंगे कहां ? इसलिए जो हिंदू है, वह बंगलादेश से आए या पकिस्तान से आए , वह भारत के सिवाय कहां जाएगा ? हिन्दु इस देश में कभी घुसपैठिया हो ही नहीं सकता । यह उसका अपना देश है और इस देश के सिवाय उसको कोई अधिकार नहीं है । अगर इसमें किसी को साम्प्रदायिकता दिखती हो , तो मैं इसकी क्षमा चाहूंगा , वे मान लें । अगर उनका मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं केवल दो छोटे उद्धरण देना चाहूंगा।एक है, हमारे श्री शंकर राय चौधरी जी का , जो कल रिटायर हुए वे पूर्व सेनाध्यक्ष थे । इसी सदन में 2003 की एक बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कुछ वाक्य कहें He said, "Some are economic migrants, whom you see all over the country. Some are infiltrators, terrorists. But a large number of them are religious minorities facing persecution. I urge the Government that the minorities fleeing Bangladesh" - this minority word is for the minority in Bangladesh, not in India - "for fear of persecution, should be given citizenship in India". अगर इससे आपका समाधान नहीं है .तो मैं एक और उद्धरण देकर आगे बढ़ंगा । यह भी 18 दिसम्बर 2003 का है, नाम मैं एक क्षण के बाद बताऊंगा, वाक्य यह है, "After the partition of our country, the minorities in the country like Bangladesh have faced persecution and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refugee in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more

[22 August, 2005]

liberal". यह वाक्य है आज के आदरणीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी का , जब वे विपक्ष के नेता के रूप में यहां से भाषणा दे रहे थे तो , 18 दिसम्बर 2003 को उन्होंने ये भावनांए व्यक्त की थीं । जब मैं घुसपैठिए और शरणाथी में फर्क करता हूं तो मैं मनमोहन सिंह जी की उसी भावना को बल देता हूं । यह उन्होंने 2003 में कहा था , 48-49 में नहीं कहा था । यह 2003 में डेढ़ दो साल पहले उन्होंने कहा था कि इसमें फर्क करना चाहिए ।

सभापति महोदय, बहुत बार यह कहा जाता है कि बंगलादेश के जो बहुसंख्यक लोग है, वे आर्थिक विपन्नता के कारण यहां आ रहे है । हो सकता है सब कारण हो सकते है , उसमें आर्थिक विपन्नता हो सकती है । कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के लोग खाड़ी देशों में काम करने नहीं जाते ? अब मुझे लगता है कि खाड़ी देश में भारत के जो लोग काम करने जाते है, वे अवैध घुसपैठ नहीं करते। वे पासपोर्ट लेकर जाते है, वीजा लेकर जाते है और वहां उनकी जरूरत होती है, इसलिए जाते है, तेल कंपनियाँ खरीदने नहीं जाते, मजदरी करने जाते है । अब बंगलादेश के लोग, इस देश में पार्सपोर्ट तो है नहीं , वीजा तो मानते नहीं और किस काम के लिए आते है , किस काम के लिए इस देश में आते है? वे इस काम के लिए नहीं आते , जो हम नहीं कर सकते , चलो भई हम नहीं कर सकते, हम सरकार नहीं चला सकते, तो उन्हें दे दिया। वे इसलिए नहीं आते । वे तो वही काम करते है, जो भारतीय कर सकते है । असम की बेरोज़गारी का एक बडा कारण यह है कि बंगलादेश से आए हुए घुसपैठियों ने सारे धंधों पर कब्जा कर लिया है और उनके सारे धंधों पर कब्जा कर लिया है तो at whose cost Original Indians. इसलिए ये जो घुसपैठिए है, इनमें लिए आर्थिक तर्क बेमानी है। कुछ लोग तो कहते है कि इन्हें परमिट दे दो । परमिट क्यों दे ? जो काम हम कर सकते है, उस काम के लिए परमिट क्यों चाहिए ? सभापति जी , इसलिए बंगलादेश को अपने नागरिकों की चिन्ता खुद करनी पड़ेगी । वे अपना बोझ भारत पर नहीं डालें । इसलिए मैं तो आगे जाकर यह कहना चाहूंगा कि अगर बंगलादेश को कोई मदद करनी है, उनको कोई आर्थिक सहायता देनी है, उनमें कुछ सुधार लाना है और इसके लिए भारत सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है,तो इसमें आपति देने का कोई कारण नहीं है।

सभापति जी, इसमें मेरा उपायों के बारे में जो तीसरा मुद्दा है, अब हम नए घुसपैठियों को लाना लगभग असम्भव करें । भारत-पाक की सीमा और भारत –बंगलादेश की सीमा, इसमें जमीन –आसमान का अन्तर है । मेरा हिन्दी का शब्द गलत हुआ, इसमें जमीन –पानी का अन्तर है क्योंकि पाक सीमा जो है, वह सारी जमीन की है और इधर जो सारी सीमा है, वहां नदी-नाले इतने है कि इसमें सब जगह तार लगाना सम्भव नहीं है । लेकिन कभी –कभी मुझे आश्चर्य होता और अभी हाल में जब मैंने अभ्यास किया तो पता चला कि हम इधर इतने lenient है कि जो पश्चिमी सीमा पर तार लगी है उस की ऊचांई और पूर्वी सीमा पर लगे तार

RAJYA SABHA

की ऊंचाई में दो फुट का फर्क है। पश्चिमी सीमा पर जो तार लगी है, खास तौर पर जो पंजाब के बार्डर पर लगी है, वहां पूरे बॉर्डर पर बिजली की तार लगी है। वह आप देख सकते हो, लेकिन यहां तो बिजली नहीं है। इतना ही नहीं जो लोग सुरक्षा के लिए रखे गए है , आप देंखे कि पश्चिमी सीमा में 30 किलोमीटर पर बी.एस.एफ. की एक बटालियन होती है, यहां कछार में 40 किलोमीटर पर एक होती है और धुब्री में 70 किलोमीटर पर है। इसलिए स्वाभाविक है कि धुब्री से 50 प्रतिशत लोग घुस गए है। इतना ही नहीं वहां पश्चिमी सीमा पर तो जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो स्पीड बोट्स की आवश्यकता है। इसलिए इस ओर ध्यान देकर रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

महोदय, अगला मुदा यह है कि अब हम घुसपैठियों की राजनीति छोडें और उन की प्रामाणिकता से पहचान करें । महोदय, इतना करने के बाद भी मैं समझता हूं कि दो करोड़ लोगों को वापस भेजना उतना आसान नहीं है । हम भी सरकार में रहे है । इसलिए मैं कोई ऐसा सुझाव नहीं दूंगा कि हम बंदूक लेकर निकलें और उन्हें ले जा रहे है । आखिर हम कोई 16 वीं सदी में नहीं है, लेकिन कम-से –कम पहचान तो करों, कम –से –कम मतदाता सूची से उन के नाम तो हटाओ, उन के राजनीतिक प्रभाव तो कम करो, फिर बांग्लादेश से बात करो और उन को भेजने की कोशिश करो । लेकिन अगर हम यह माने कि वे आते ही नहीं है तो कभी –कभी तो मुझे लगता है कि सत्ता दल की भूमिका और बांग्लादेश की भूमिका में कोई अंतर नहीं है बांग्लादेश भी कहता है कि कोई घुसपैठिया जाता ही नहीं है और यह कहते है कि कोई आता नहीं है अगर वह जाता नहीं और यह आता नहीं तो फिर घुसपैठिए की पहचान कैसे होगी ? आप मतदाता सूची से नाम हटाइए, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने की कोशिश कीजिए और एक बहुउदेशीय पहचान पत्र दीजिए ।

महोदय, मैं कम –से – कम चुनाव आयोग से यह अपेक्षा करता हूं कि इस ओर ध्यान दे । अध्यक्ष जी आई.एम.डी.टी. रद्द होने के बाद जो उन मतदाता सूची है, आप को आश्चर्य होगा कि अगले साल चुनाव है व अभी एक डाफ्ट सूची निश्चित हुई है ? वहां एक – एक चुनाव क्षेत्र में 25-25 प्रतिशत वोटर्स बढ़े हैं और ऐसे कई मतदान क्षेत्र है जहां 25-30 परसेंट तक बढ़े है । अब अगर आप मतदाता सूची से उन के नाम हटाएं तो मुझे लगता है कि हम इस प्रश्न के साथ कोई न्याय करेंगे ।

महोदय अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो अखंडता और सार्वभौमिकता है, उस पर जब बाह्म आक्रमण होता है तो उस से रक्षा हमारी बहादुर सेना करती है, लेकिन यह जो अवैध घुसपैठ है, यह हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। यह भारत की अस्मिता पर चोट है, यह भारत की संस्कृति को बिगाड़ने का काम है, यह भारत की भाषा को

[22 August, 2005] RAJYA SABHA

दूषित करने का प्रयोग है और इसीलिए मेरी सरकार से करबद्व प्रार्थना है कि आई.एम.डी.टी.के इस पार्थिव शरीर में एक –दो चुनाव के लिए कोई नए प्राण फूंकने का प्रयास न करें। इस अवैध घुसपैठ से भारत को बचांए। इस के लिए सभी राजनीति दलों को बुलाकर कोई सहमति प्रदान करें और सब मिलकर घुसपैठियों से हमारे देश की सुरक्षा को एक संकट खड़ा हुआ है, उस को दूर करने का काम करें। यही मेरी प्रार्थना है और आज की चर्चा का मेरी दृष्टि से उद्देश्य भी यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राशिद अल्वी।

श्री राशिद अल्वी प्रदेश (आंध्र प्रदेश) : सर, इस अहम मामले पर बातचीत का मौका देने के लिए आप को बहुत –बहुत धन्यवाद ।

प्रमोद जी की बात मैंने बहुत बार सुनी है और आज भी बहुत खामोशी के साथ उन की बात सुन रहा था। मैं प्रमोद जी की कही एक बात पर पहले आता हूं। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर हुआ है। मुझे इस बात पर पूरा एतराज है। इस से पहले कि मैं आई.एम.डी.टी. की बात शुरू करूं, मैं कहूंगा कि अगर हम देश के इतिहास का एक-एक पन्ना पलटना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रमोद जी आप तो इस हाउस के अंदर वही बात कह रहे है जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग कहती रही है। मुस्लिम लीग यही कहती थी कि इस देश के अन्दर दो कौंमे रहती है और दोनों को अलाहिद –अलाहिदा मुल्कों की जरूरत है, लेकिन वे लोग, जो इस देश के अन्दर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि हिन्दु और मुसलमान दो कौमे नहीं है, यह एक कौम है।

प्रमोदजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद कांग्रेस के ही एक नेता नहीं थे, बल्कि वे इस दुनिया के एक थिन्कर थे। जब पाकिस्तान बना तो मौलाना आजाद ने कहा था कि कौम की बुनियाद वतन होती है, मजबह नहीं होती है। कौमें वतन से बनती है, धर्म और मजहब से नहीं बनतीं। तब मौलान आजाद ने यह प्रेडिक्ट किया था कि आज का जो पाकिस्तान बना है, वह पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कोई चीज नहीं मिलती, जुबान नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलती , खाना –पीना नहीं मिलता, सिर्फ एक मजहब की बुनियाद है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान बांग्लादेश को नजदीक महसूस कर रहा है। लेकिन प्रमोद जी, अगर मजहब की बुनियाद पर मुल्क बना करते, तो मिस और लीबिया अलैहदा मुल्क नहीं होते ; अगर मजहब की बुनियाद पर मुल्क बना करते, तो इराक और इरान में लड़ाई नहीं होती ; अगर मजहब की बुनियाद पर मुल्क बना करते , तो सऊदी अरब और सीरिया अलाहिदा – अलाहिदा मुल्क नहीं होते।

RAJYA SABHA

में कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की बुनियाद मजहब की बुनियाद पर नहीं पड़ी है । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जरूर बने, लेकिन हिन्दुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यही वज़ह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अकलियत इस मुल्क के अन्दर रह रही है । प्रमोद जी, जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ तो मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद के अन्दर कहा था, उनको जो मुसलमान हिन्दुस्तान छोड़कर जा रहे थे कि "जामा मस्जिद की ये सुन्दर मीनारें तुमसे सवाल करती है; जामा मस्जिद का यह हौज़ , जिसमें वजू करके तुम नमाज़ पढ़ते हो, यह तुमसे सवाल करती है, कि इस हिन्दुस्तान को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो ? वे तुम्हारें ही आबा –अजदाद थे, जो तूफानों का रूख बदल देते थे । आज जरा -सी परेशानी में तुम अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हो उसके बाद आपने देखा कि हिन्दुस्तान के अंदर क्या हुआ और कितनी बड़ी अक़लियत रह गई है ।

आपकी पूरी दुनिया की मिसालें दीं । मैं आपकी बात मानता हूं की जो फॉरनर्स एक्ट हमारे यहां मौजूद है दुनिया के अन्दर कमोबेश इसी तरीके का एक्ट मौजूद है, लेकिन प्रमोद जी, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि दुनिया के अन्दर और हमारे अंदर यही फर्क है कि इस मुल्क के तीन हिस्से हो गए, दुनिया में किसी मुल्क के तीन हिस्से नहीं हुए , आज हम और आप यहां जिस परेशानी का जिक्र कर रहे है, वह इसलिए कर रहे है कि एक मुल्क था , जिसके तीन हिस्से हो गए और इसलिए आज यह परेशानी पैदा हुई है । लेकिन , मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अन्दर परेशानी यहा है कि जब-जब आपकी जबान खुलती है, आपके होठों से अल्फाज़ निकलते है,इस देश की अक़लियतों के सीनों में धड़कने वाले दिल की धड़कनें तेज हो जाती है । वह परेशान हो जाता है कि यह किस तरीके की बात कह रहे है ? आपने भी आज इसी तरीके की बात की है ।

सर, जसवन्त सिहं जी यहां तशरीफ रखते है, मैं कहना चाहता हूं कि जब आई.एम.डी.टी. बना था और जिस वक्त सन् 83 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और 1984 में इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील किया गया था, उस वक्त जसवन्त सिंह जी ने वे सारी बातें, जो मेरे भाई प्रमोद जी ने की, इन बातों का जिक्र उस वक्त नहीं किया था । मैं श्री जसवन्त सिंह जी का सिर्फ एक जुमला बताऊंगा और मुझे खुशी है कि आप यहां तशरीफ रखते है। आपने आई.एम.डी.टी. की मुखालफत इस बुनियाद पर नहीं की थी, जिस बुनियाद पर प्रमोद जी आज इस हाउस के अन्दर मुखालफत कर रहे है, बल्कि आपने कहा था कि इसका मुतालबा था। यह आई.एम. डी.टी. होना चाहिए था। मैं आपकी चार लाइनें पढ़कर सुनाता हूं:

"The institution of tribunals for determination of illegal immigration in Assam was one of the requirements."

4 р.м.

:

ये आपके जुमले है। आपने आगे कहा था :

"One of the demands, one of the requirements, one of the requests which was constantly put across in the tripartite discussions, which were held earlier..."

ये जसवन्त सिहं जी के जुमले है और आपने इसकी मुखालफत यह कह कर की थी कि

"Even on the basis of that date, the Government did not think it fit to take any executive action to institute these tribunals."

- तो एक साल का वह वक्त गुजरा ऑर्डिनेंस आने के बाद और एक्ट बनने के बीच में । इस बीच में सरकार ने ट्रिबुनल्स नहीं बनाए, इसलिए इस आईएमडीटी एक्ट की मैं मुखालफत करता हूं । यह बुनियाद थी , जिस बुनियाद पर जसवन्त सिंह जी ने इसकी मुखालफत की थी प्रमोद जी,मैं यह कहूंगा कि इस देश की जो अकलियतें है, उन्हें हमेशा इस बात का खतरा आपसे लगा रहता है और इसी वजह से यह आईएमडीटी एक्ट बना था । फ़ार्नर्स एक्ट के और आई एम डी टी एक्ट के अन्दर सिर्फ़ यही फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क कि फार्नर्स एक्ट के और आई एम डी टी एक्ट के अन्दर सिर्फ़ यही फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क कि फार्नर्स एक्ट के अंदर यह जिम्मेदारी फॉर्नर की होती है कि वह यह साबित करे कि वह फॉर्नर नहीं है, हिन्दुस्तानी है । चूंकि असम के अंदर जो मासूम लोग थे , बेगुनाह लोग थे, अकलियत के लोग थे, उनको पुलिस परेशान करने का काम कर रही थी, उनका हाथ पकड़ती थी और कहती थी कि तुम फॉर्नर हो । अब वह फॉर्नर है या नहीं है, यह साबित करना या न करना उसकी जिम्मेदारी थी । मै बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आधी आबादी यह साबित नहीं कर सकती कि वह हिन्दुस्तानी है । इस देश के गांव का आदमी यह साबित नहीं कर सकता कि वह हिंदुस्तान है । तो जब असम में इस तरह परेशान करने का काम किया गया, तब मजबूरन यह कानून लाया गया ।

महोदय, ला-कमीशन की 175वीं रिपोर्ट में इसी बाबत है कि इस देश के अंदर जो बाहर के लोग आए । सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीवन रेड्डी ने कहीं यह नहीं कहा कि आईएमडीटी को बदल दिया जाए । जो असम –एकोर्ड हुआ , उस असम-एकोर्ड के अंदर कहीं किसी एक जगह यह नहीं कहा गया कि आईएमडीटी को बदल दिया जाए । वर्ष 1977 तक असम के हालात बिल्कुल ठीक –ठाक थे, 1977 तक वहां पर कोई किसी तरीके का एजीटेशन नहीं था, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी । यह 1978 के अंदर एजीटेशन शुरू हुआ और उस एजीटेशन के अंदर यहां तक हुआ कि 1979 के अंदर जो जनरल इलेक्शन होना था,

वह जनरल इलेक्शन नहीं हुआ । उसके बाद 15 अगस्त , 1985 को असम –एकोर्ड हुआ। असम –एकोर्ड के अंदर जो तीन क्लॉजेज थीं, जिसका जिक्र सुप्रीम –कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर भी किया है । इसमें मेन बात यह थी कि 1 जनवरी, 1966 से पहले इस देश के अंदर जो लोग आए थे, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, उसके अंदर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है । एक एकोर्ड को मैं कह सकता हूं कि तीन कैटेगरी के अंदर बांटा जा सकता है । एकोर्डिंग टू द एकोर्ड, 1 जनवरी , 1966 से पहले जो भी आए थे उनको हिन्दुस्तान की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो लोग 1 जनवरी ,1966 से लेकर 24 मार्च, 1971 तक हिंदुस्तान के अंदर आए थे उनको फॉर्नर्स एक्ट के मुताबिक डील किया जाएगा , इलेक्टोरल रोल के अंदर जिनके नाम आ गए है उनके नाम काट दिए जाएंगे , उनकी अलाहिदा लिस्ट बनाई जाएगी, हर थाने के अंदर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उनकी सिटीजनशिप दस साल के बाद दी जाएगी और तीसरी सिटीजनशिप की कैटेगरी वह है, जो मार्च, 1971 के बाद की है । यह फॉर्नर्स एक्ट 1971 तक लगेगा, लेकिन 1971 के बाद आईएमडीटी एक्ट लगेगा , जो 1971 से आज तक मिलेगा ।

महोदय , अगर मैं डेटा रखुं, सुप्रीम –कोर्ट की जजमेंट के अंदर जो डेटा आए है, तो दोनों के मुताबिक कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर फॉर्नर्स बताए गए है ? सर, जो डेटा दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 नवंबर, 2004 को एफिडेविट फाइल की सुप्रीम –कोर्ट के अंदर , उसके मुताबिक 4,51,598 यानी चार लाख से थोड़ा ज्यादा बताए गए है। कम्प्लेंट IMDT के मताबिक फाइल की गई। मै इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या फैसला किया, कितने रिजेक्ट किए, मैं सीधा कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के मुताबिक 12, 180 लोगों को कहा गया कि These are the foreigners, इनको इस देश से निकालों । 4 लाख से ज्यादा केसिस आए, जिनमें से सिर्फ 12 हजार लोग माने गए कि These are the foreigners. इसके साथ – साथ 1 जनवरी, 1966 से लेकर 24 मार्च,1971 तक, जिस फारनर्स एक्ट की तारीफ प्रमोद जी कर रहे है और जिसके बारे में कह रहे है पूरे देश के अंदर यह लागू है और इसे असम में भी लागू होना चाहिए , मैं बीच में यह भी कहता चलुं, जिस बात का जिक्र आपने किया कि IMDT तो पुरे देश के लिए बना था । मेरे पास 1983 की लोक सभा और राज्य सभा की वह बहस मौजूद है, जिसमें श्री पी.सी, सेठी साहब. जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमने यह प्रोविजन परे देश के लिए बनाया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको पूरे देश के अंदर लागू कर देंगे । वह लागू नहीं किया गया, यह एक अलग बात थी। लेकिन फारनर्स एक्ट के मुताबिक जो केसिस है, वे 5,19,000 केसिस है,जो फारनर्स एक्ट के मुताबिक तय किए गए | 5, 19,000 के अंदर इललिगल इमीग्रेंट 29,1891 कितना बडा फर्क । वहां पर बताए गए थे फारनर्स है जो इललिगल माइग्रेंट्स है, वहां पर 12 हजार के लगभग थे। तो ऐसा कोई बहुत फर्क IMDT के अंदर और

[22 August, 2005]

फारनर्स एक्ट के अंदर नहीं है। लेकिन मैं बहुत अदब से यह कहना चाहूंगा कि जब असम के अंदर वह सारा हंगामी दौर हुआ और 1985 में चुनाव हुए और वहां की असैम्बली बनी, प्रमोद जी, पहली बार युनाइटेड मुस्लिम फ्रटं हिन्दुस्तान के किसी एक स्टेट में बना और वहां से 17 सीटें जीतीं । शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक युनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने 17 सीटें जीतने का काम किया । मुझे याद नहीं पड़ता कि हिन्दुस्तान का कोई एक स्टेट ऐसा हो, जहां की असैम्बली किसी मुस्लिम फ्रंट ने जीती हो । लेकिन आपने असम में इतना कम्युनलिज्म पैदा कर दिया कि वह युनाइटेड मुस्लिम फ्रंट 17 सीटें जीतने में कामयाब हो गया । मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप चुन – चुनकर ऐसे मुद्दे लेकर आते है, आपको इस बात की दिलचस्पी नहीं है कि देश के अंदर महंगाई को कैसे खत्म किया जाए, आपको कभी चिंता नही होती कि देश के अंदर दूसरी परेशानियां क्या है । आपको चिंता होती है कि इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद कैसे है। वहां राम मंदिर क्यों नहीं बना । आपको चिंता होगी कि कश्मीर के अंदर 371 अभी तक खत्म क्यों नहीं हआ , आपकी चिंता होगी , आपको खुशी होगी कि IMDT खत्म हो गया । आप कहेंगे कि यहां अलग –अलग पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए , सिविल लॉ होना चाहिए , सिविल कोड होना चाहिए । लेकिन , प्रमोद जी, जब –जब आपकी सरकार आती है तब –तब ये सारे मुद्दे खत्म कर दिए जाते है तब आप इनमें से एक भी मुद्दे की बात नहीं करते । आपने कहा था कि यदि आपकी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे । दस साल तक आप चले थे गुजरात से रथ यात्रा लेकर और सारे देश के अंदर उसे घुमाया था कोई गली और सड़क आपने नहीं छोड़ी थी , लेकिन जब सत्ता और इख्तदार आपके पास आया तो अटल जी ने प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले दिन यह बयान दिया था कि जब सत्ता रहेगी, राम मंदिर हमारे एजेंडे में नही रहेगा और जिस दिन सरकार चली गई, सरकार जाते ही आडवाणी जी ने ब्यान दे दिया कि अगर छः महीने और सरकार में रहते तो राम मंदिर बना देते । मैंने एक अखबार वाले से कहा कि ८ महीने और रहते . कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में ? क्यो लोक सभा को 9 महीने पहले डिज़ाल्व कर दिया ? किसने कहा था आपको ? 9 महीने का वक्त मौजुद था आपसे पास , लेकिन आपने हाऊस को डिज़ाल्व कर दिया

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड): IMDT पर बोलिए न ।

श्री राशिद अल्वी : उसी पर आ रहा हूं । क्यों हाऊस को डिजाल्व कर दिया ? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Don't disturb him.

श्री राशिद अल्वी: महोदय, मैं श्री अहलुवालिया जी की बात नहीं करना चाहता,

RAJ YA SABHA [22 August, 2005]

किसी दिन चर्चा होगी, वे ख्वामख्वाह टोकाटाकी कर रहे है। श्री वाजपेयी जी के खिलाफ यदि कोई सबसे ज्यादा बोला तो वे अहलुवालिया जी ही बोले। (व्यवधान)मेरे पास रिकॉर्ड है। (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : एक दिन प्रोसीडिंग पढ़ लेना आप कि मैं किसके खिलाफ बोला, आपके खिलाफ या किसी और के खिलाफ बोला । आइना – आइना दिख जाएगा ।

श्री राशिद अल्वी: मेरे पास चिट्ठी है।

श्री सभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है , इनको आगे बोलने दीजिए । (व्यवधान) आप बोलिए , अपने सब्जेक्ट पर आप बोलिए ।

श्री राशिद अल्वी : महोदय, श्री प्रमोद जी ने कहा कि हमारे पास राज्य सभा के अन्दर मेजॉरिटी नहीं थी , चूकि राज्य सभा के अन्दर मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए हम आईएमडीटी को रद नहीं कर पाए । महोदय, सरकार छः वर्ष चली और हाउस को डिजॉल्व करने से पहले ही इसे स्टेडिंग कमेटी ऑन होम्स को भेजा । स्टेंडिंग कमेटी ऑन होम्स की रिपोट भी मेरे पास मौजूद है । आईएमडीटी में 72 मैंमोरेंडम इस बात पर आए कि आईएमडीटी को खत्म कर दिया जाए और 58 मैंमोरेंडम, श्री प्रणब मुखर्जी साहब यहां पर उपस्थित नहीं है क्योंकि वे ही इसके अध्यक्ष थे, 58 मैंमोरेंडम इस बात के लिए आए कि आईएमडीटी को खत्म न किया जाए । आधे लोग चाहते थे कि इसे खत्म कर दिया जाए और आधे लोग चाहते थे कि इसे खत्म न किया जाए ।

महोदय, जैसे ही आईएमडीटी खत्म हुआ, असम के अन्दर जो मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन्स है, उन्होंने भी बन्द की कॉल दे दी। 16 जुलाई को मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन्स की कॉल पर पूरा असम बंद रहा। मैं बहुत ही अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा खतरा है जो कि उन लोगों को महसूस होता है। महोदय, इस हाउस के मैम्बर रहे श्री रफीक जकारिया साहब, मैं उनका सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, जिससे आपको यह एहसास हो पाएगा कि आईएमडीटी पर उस समय भी जब बहस हुई थी, क्योंकि आईएमडीटी के अन्दर कोई भी आदमी यह शिकायत कर सकता है कि यह फॉर्नर है, बशर्ते कि वह तीन किलोमीटर की हद के अन्दर ही रहता हो। आईएमडीटी के बावजूद श्री रफीक जकारिया के सेक्युलर होने में शायद किसी एक भी आदमी को शुबा नहीं हो सकता । आज वे हमारे बीच नहीं है, श्री रफीक जकारिया को कम्युनल नहीं बताया जा सकता है,लेकिन श्री रफीक जकारिया ने आईएमडीटी कानून के बनने के वक्त भी इस बात का खतरा जाहिर किया था कि " I would like to say about जो झुठी एप्लीकेशन दे

RAJYA SABHA

कि यह फॉर्नर है, उसके बारे में उन्होंने कहा in the Act itself . If not, in the Act.... अगर एक्ट के अन्दर नहीं बन सकता तो एक्ट के बाहर "at least, in the rules you must provide that some sort of punishment will be given." आईएमडीटी के बावजूद भी यह खतरा उन्हें लगता था कि वहां पर माइनॉरिटीज के लोगों को परेशान किया जाएगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का ताल्लुक है, सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लंगा , केवल दो –तीन बातों को कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं इस पर बगैर किसी कमेट को दिए इस हाउस पर ही छोड़ता हूं कि वह इस बारे में क्या कहता है। पैराग्राफ 24, पेज नम्बर 29, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "The influx of these illegal migrants is turning these districts into a Muslim majority region..." जो लोग बाहर से आ रहे है, असम के बहुत ऐसे इलाके , ऐसे जिले है, जिनके अन्दर मुसलमानों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, "It will then only be a matter of time when a demand for their merger with Bangladesh will be made ... " अगर मुसलमानों की तादाद, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसे मैं आपके सामने पढ रहा हं, इस पर में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता , सप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बडा अदलिया है, जिसके फैसले के हम सभी पाबंद है, लेकिन मैं इस पार्लियामेंट से कहना चाहता हूं कि क्या ये अल्फाज मुनासिब है कि यदि बांग्लादेश के कुछ जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, तो सिर्फ it is a matter of time कि वे उनकी जिस बात का मुताल्बा करेंगे कि हमें बांग्लादेश के अंदर शामिल कर लिया जाए, इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं, यह आपका फैसला है। एक पेराग्राफ श्री प्रमोद जी ने पढ़ा है, उसे मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है,"A deep analysis of the IMDT Act and rules made thereunder would reveal that they have been purposely so enacted, or, made so as to give shelter or protection to the illegal migrants." ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में यह आई.एम.डी.टी का कानून इसलिए बनाया है कि इमीग्रेंटस को निकलना नहीं है बल्कि पनाह देने का काम करना है । सर, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मजाक बनाना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता । अगर वह यह सोचता है कि पार्लियामेंट इसलिए है तो इसके अंदर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता । लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से यह सोचती है कि यह कानून इसलिए बना है कि इमीग्रेट्स को शैल्टर दिया जाएतो, सर, इस हाउस को फिर सोचना पडेगा , लाईन खींचनी पडेगी कि इस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी क्या है और इस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है।

सर,में पांच मिनट और लूगा , उसके बाद खत्म करूंगा । सुप्रीम कोर्ट कानून को इंटरप्रेट कर सकती है लेकिन कानून बनाने का काम सिर्फ पर्लियामेंट का है । पार्लियामेंट किस तरीके

RAJYA SABHA

का कानून बनाती है इस पर मुखालफत नहीं की जा सकती । यह जो पैरा प्रमोद जी पढ़ रहे है, जो वह पूरी डेमाक्रेसी , पूरी पार्लियामेंट का मजाक है । दूसरी बात पार्लियामेंट में कहीं है कि जो लोग बाहर से आ रहे है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेसन का सवाल पैदा किया है, यह इतनी खतरनाक बात है, एग्रेसन मुल्क करती है, पब्लिक नहीं किया करती, उन्हें माइग्रेंट्स कहा जा सकता है, इमीग्रेंट्स माइग्रेंट्स कहा जा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रही है कि एक्सटर्नल एग्रेसन आर्टिकल 355 लागू होना चाहिए । ...(व्यवधान) सर, ईस्ट इंडिया कम्पनी को छोड़िए , लेकिन जब गुजरात हुआ था,सर, मैं इस हाउस का मेंबर नहीं था , लेकिन मैंने देखा है कि इस हाउस में जब गुजरात हुआ था यूनेनिमसली , उस वक्त की सरकार ने जिसके अंदर प्रमोद जी हमारे भाई मंत्री थे कहा था कि गुजरात के अंदर आर्टिकल -355 को एप्लाई किया जाए । It is a matter on record. पूरी राज्य सभा ने यूनेनिमसली कहा था कि आर्टिकल -355 के तहत गूजरात को डील किया जाए । आपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था । मैं बहुत अदब से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह एक अहम मामला है और जो प्रमोद जी की तकरीर है, उससे पूरे तरह से हाउस को इस बात का अहसास हो गया होगा कि धर्म की बुनियाद पर ये सारी बातें की जा रही है । मैं कहना चाहूंगा कि आई.एम.डी.टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कोई लड़ाई नहीं लडी जा सकती है । लेकिन फॉरनर्स ऐक्ट के अंदर अगर जरूरत पड़े तो उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए , नए कानून लाने की जरूरत है तो नया कानून लाया जाए। हमारी दिलचस्पी उन लोगों में नहीं है जो बाहर से आना चाहते है, जो इल लीगज माइग्रेंट्स है उन्हें सौ फीसदी देश से निकाला जाए। लेकिन सर, जो देश के सिटीजंस है हमें उनकी ज्यादा चिंता है । आपको सिर्फ इन लोगों की चिंता है जो इललीगल माइग्रेंट्स है, हम लोगों को उनकी चिंता है जो इस देश के सिटीजंस है। मैं सरकार से कहूंगा कि कानून के अंदर मूनासिब तब्दीलियां करें । यह सही बात है कि वहां फेंसिंग होनी चहिए, यह सही बात है कि मल्टीपरपज आईडेंटिटी कार्ड इश्यू होने चाहिए ताकि यह मसला हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

आखिर में, मैं सिर्फ फैज अहमद फैज की इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि अगर आप भी मेरे साथ हाथ उठाकर दुआ करें तो शायद इस मसले के अंदर कुछ कमी आ सकें, आइए हाथ उठाएं हम भी,

> आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें कोई बुत कोई खुदा याद नहीं , आइए अर्ज गुजारे की निगारे हस्ती, जेहरे इनदोज में शीरीनी में पर्दा भरदें,

जिनके सर मुनतजिर तेरे जफा है इनको, दसते कातिल को झटकदे उनकी तौफीक नहीं।

थैंक्यू वैरी मच ।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, I rise to participate in the Short Duration Discussion on the issue of striking down of the IMDT Act, 1983 raised by the hon. Member, Shri Pramod Mahajan. This Act was passed by Parliament in October, 1983. It was struck down in July this year by the Supreme Court, by one of its judgements. While the hon. Member, Shri Mahajan was rejoicing at the striking down of this Act, we saw that he did not think even once that it was an Act passed by Parliament, it was the right of Parliament, the power of Parliament, but it was struck down by the judgement of the Supreme Court. As a Member of Parliament, he should, al least, have some respect and honour to the Act passed by the Parliament. He, astonishingly, forgot to show that honour ...(Interruptions)... I am sorry Sir, to mention it. Sir, what was the need for this IMDT Act, because the Foreigners' Act was very much in operation in the country? Then, why did the question of IMDT Act arise? To know this, we must go to the background as to why this Act was passed. Sir, it reminds us of the turmoil which, at that time, was going on in Assam. That was the agitation in the name of removal of foreigners. And, the agitation rose to such an extent that elections could not be held. Electoral rolls could not be prepared properly. In 1980, out of 14 constituencies in the State of Assam, elections could be held only in two constituencies. In 1983, during Assembly elections in Assam, there were many constituencies where the voting percentage was 10 per cent or even less than that. The candidates won the seat by getting votes of 5-6 per cent only. So, the whole democracy collapsed in the State of Assam. This happened just because of the question of removal of foreigners. Sir, I remember that in the year 1983, when elections were held in Assam and the Congress Party formed the Government, winning with a meagre margin of votes, we, our party, morally supported the Congress Govt, at that time, because it was a bold step against chauvinistic anarchism going on in Assam. That was a great step during those elections. In whatever percentage of people might have voted, that was not the main thing, at that time; but the normalcy was the prime aim at that time. Sir, shall

we be reminded of those dark days? When Mr. Mahajan was speaking, I was thinking as to whether we should give up the past or not. Or, shall we try to remember it again and again? To me, I think, the past is past. That should be our lesson. Sir, in this perspective, the Assam Accord was adopted in the year 1985. Our Party opposed that Accord. Our Party opposed the Assam Accord. Our Party also opposed Shah Bano case. What we speak, we call 'spade a spade'. We do not speak anything according to opportunity. Our Party never does it. So, we opposed the Assam Accord because in that Accord, it was said that genuine voters, genuine citizens could not cast their votes. They would have to wait for ten years. That was the adjustment. That was the adjustment with those movers; these are the illegal migrants whom we have to remove in four years or five years. In the name of removal of foreigners, that was the Accord, we opposed it. Sir, what is the difference between the Foreigners' Act and the IMDT Act? In the Foreigners' Act, a Tribunal was formed for Assam. The Foreigners' Act gives power to the executives. It gives power to the Police. It gives power to the Administration only. And, we cannot vest draconian powers on the Police alone. But in the IMDT Act, there was the provision for judicial scrutiny? Who is a foreigner? Who is a citizen? How will that be determined? There should be some judicial procedure. Judicial scrutiny should be made. The IMDT Act provided that judicial provision. It provided that judicial scope for scrutiny. That was the main point of benefit. For the genuine voters, for the genuine citizens of India, the IMDT Act helped a lot. Sir, I would not like to quote the figure which my previous speaker has mentioned. What have we seen? But, Sir, I would like to compare the figures as scrutinised by the IMDT Act and the Foreigners' Act. We can see that as on 31st December, 2002, out of the total number of alleged illegal migrants, i.e., 3,68,609, the actual number of illegal migrants that was established was only 11,306. So, out of a figure of more than 3.5 lakhs alleged migrants, the actual number found was 11,000. It is according to the IMDT Act. According to the Foreigners' Act Tribunal, out of the total number of alleged cases of 5,17,955 of illegal migrants, the actual number of illegal migrants that was declared was only 28,451. If you compare it, you will see that ...(Time-bell)... Sir, I will require two-three minutes more. On comparison, we find that about 20,000 genuine voters, genuine citizens, have been saved. The IMDT Act was clearly helping the genuine voters,

the genuine citizens.

Sir, our stand is that we do not want foreigners to stay in our country. According to the Indira-Mujeeb agreement, people who had immigrated after the cut-off date need to be detected, and they need to be deported. That has been our clear stand. But the slogan of three 'D's, namely, detection, deletion and deportation, are harassing the real and genuine voters. The genuine citizens should not be harassed. They should be protected. Their dignity, their honour and their rights as citizens should be protected by all means. They should not be made to suffer by the blame of being foreigners.

Thirdly, for the detection and determination of foreigners, there should a provision for judicial scrutiny. Now, the Government has formed a Group of Ministers. They would undertake a review to find out the circumstances under which the judgement has been made, how far it has been judicious, or what steps have to be taken according to that judgement. All this is up to the Group of Ministers; they would look into it. But, my friends, care should be taken to see that the citizens are not harassed in the name of removing foreigners. The citizens should not be harassed by any means.

Sir, there is a difference, as has been drawn out by Shri Mahajan, between immigrants and refugees.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Sarkar.

SHRI MATILAL SARKAR: It has been said by Shri Mahajan that the immigrants are largely Muslims, while the refugees are largely Hindus; as if the Muslims cannot love India, cannot love this country; they have no right to love; they have no right to show their patriotism. Shall we admit this?

We must remember the days when Bengal was divided. Bengal was divided in the year 1905, a century ago, due to the hypocrisy of Lord Curzon. We should not forget that people from either sides of

Bengal fought unitedly against that hypocrisy. They stirred up the whole of India.

We Indians are one. No division should make us crack. We should not forget that the whole of India, the citizens of this country, fought

tooth and nail against that hypocrisy; it was fought back-and lifted. But, what did we see in the year 1947? We saw Punjab divided, Bengal divided. The Two great nations, which were part of the history of struggle for independence got divided. Nobody can ignore that; nobody can forget that. What was the weapon? The weapon was the two-nation theory. And in this 'two-nation theory', what was imbedded was communalism. The Communalism is the sharpest possible weapon. Mr. Mahajan, my friend on my right side, I appeal to him to see the fact that Communalism is the sharpest possible weapon, and we could not fight it. In 1947, India was divided and one country broke into three pieces. We had been divided into three countries. In all these three countries, there is hunger; there is unemployment; there is the problem of social security, and that is why people are moving hither and thither.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: I need one minute, Sir. People are moving from this side to that side. The main question is earning. Earning is one of the main questions. Sir, I belong to a State which is pocketed by Bangladesh. Whatever may be the laws, whatever may be the rules, we have seen, at dawn, in the morning, poor people come in with a bundle of dry fish or come in with fried rice. We have seen them in the villages to be hawking and begging. We do not support it. It should not happen, but it is happening. Can we be cruel to them? In our State, there are 50,000 Chakma refugees coming from Chittagong. Bangladesh is refusing to take many of them back. Our former Home Minister, Shri L. K. Advani knows it. He had tried many times. Even now, several thousand Chakma refugees are residing in Tripura. Can we be cruel to them? Can we return them to their residence at the gunpoint?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have taken double the time.

SHRI MATILAL SARKAR: I am concluding, Sir. This problem of foreigners should be taken up soberly, or, it should be taken up judiciously. They come for earning. There may be agents of Al Qaida. They may be spies of ISI. We should be as cruel as we can against them. But care should be taken that other people do not suffer, citizens do not suffer and judicial scrutiny is made. I think, the Group of Ministers

will think about it in that line in times to come, and will resolve all these problems within a short time. Thank you.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, there is a saying in Tamil, 'what work a fly has got in a place where iron is melted?' In a border State issue, such as the issue of Assam, what a Tamil Nadu person can speak on that, one may wonder. In what way you are worried? One may think like that. Sir, I consider that the problem of India is the problem of mine. That is the reason I am here to speak. Sir, a liberal comment is being made in this House against the judgement of the Supreme Court rendered by the Chief Justice of India and another two companion Judges. Sir, with great respect, I would say that there is nothing wrong with the judgement; that judgement is correct in all aspects. In fact, this IMDT Act is the best example as to how an enactment should not be made. This Act was enacted under various mysterious circumstances without considering certain aspects, especially Article 355 of the Constitution of India. Sir, in the year 1983, this Act was passed by the Central Government considering that they had got a duty under Article 355. Unfortunately, they have not fulfilled it. Let us read what Article 355 says. It says that it is the duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance. Assam has been facing external aggression and internal disturbance right from 1961. From 1961 onwards, a lot of agitation was being carried out to push the illegal immigrants, and this Act was brought into force. Unfortunately, this has proved to be like some medicines which are worse than the disease. This Act has proved to be worse than the remedy that it sought to provide. Sir, we are already having Passports Act, Citizenship Act and Foreigners Act. These three Acts will serve its purpose, whereas what is sought to be achieved by these three Acts, an overriding effect has been given under IMDT Act keeping these Acts in abeyance, so that IMDT Act alone will apply only to Assam. Let us see whether this Act has achieved its purpose. Sir, as per the tabulation incorporated in the Supreme Court Order - I am reading from the order. I am authenticating it - the total number of persons declared as illegal migrants from 1983, after twenty years, the Tribunal could declare only 10,015 persons as illegal migrants. Based on that order, only 1181 persons have been deported. This is a wonderful piece of legislation that our Parliament has passed and the

[22 August, 2005]

same has been most improperly used. Instead of expelling the foreigners, it has given protection, in such a way, that whatever order was passed in accordance with the Passports Act, that could be contested before the Tribunal. In the Tribunal also, a long-delayed process is envisaged. Then, there is an appeal. Then, there is reference to the Central Government. Sir, all the immigrants, who came in, happily stayed here. This is the level of cultural erosion that we have allowed in the State. Successive Governments have failed. From 1983 onwards, there has been a cry from the people of Assam to repeal this Act. Chief Minister after Chief Minister, barring Congress Chief Ministers -- this is on record; let Congress people not misunderstand me - all other Governments that came in Assam, were crying for repeal of this Act because it did not serve the purpose. Then, a Public Interest Litigation was filed in the Supreme Court. The Supreme Court went into the issue. There, the Assam State filed a counter-affidavit saying that they were for withdrawal of this enactment, for repeal of this Act. When the case was pending, change of Government took place. The subsequent Congress Government thereafter filed another application saying that they wanted to modify their earlier stand, and then said that this Act was constitutionally valid, and they did not want to withdraw it. Party matters are not an issue here. It is a matter of national interest. Why was it struck down? The matter is very simple. It did not serve the purpose of Article 355. It did not cater to the needs of the purpose. When all the three Acts are applicable all over India, that is, the Citizenship Act, the Foreigners Act and the Passports Act, the IMDT. Act has given an overriding effect in Assam. This has been made an issue, and, the Act has been struck down.

Sir, I am really unable to understand as to why this problem has not been properly addressed by the Government, the Union of India. The decadal increase of population in India during any relevant point of time could be 23.85 per cent whereas in the border districts of Assam, in the Karimganj District, it is 42 per cent, in Cachar, it is 47 per cent, in Dhubri, it is 56 per cent. How has the population increased in those border districts? It is because of immigration, illegal immigration. Foreigners are happily getting into India, and, there is no machinery available to prevent it. They are mingling with us and we are losing our identity in Assam. Our culture erosion is taking place. That is why the

Chief Minister of Assam has written a letter on 31st July, 1986 to withdraw this enactment, to repeal this enactment. There is an Assam Accord, continuously not obeyed by the Union of India. Even though they are signatory to that Accord, they did not care for that. Finally, the Supreme Court came to the rescue of Assamese people. Sir, the situation is very bad as on date. Public Interest Litigation by-a student leader is filed in the court stating, nobody is listening to us, please save us, and, with Union of India not rising itself to the level of problem to be faced, what else the Court will do? The Court has come to the rescue of the nation. We must thank the Judges and the person who filed the PIL and saved this country.

There is no point in repeatedly telling that the Supreme Court is trying to interfere in this matter. It is not so.The Supreme Court saved this nation because we have failed in making a proper law. Sir, time and again, with my short experience in this House, I could see, and with a painful heart I say, that we are not enacting laws in a proper manner, which is required. Whatever we say, it goes into the record only and does not go in the heart of the rulers. Whether it is the BJP Government or the Congress Government; it is not going to their hearts.

Sir, the Tribunal since having failed in its attempt, and when the State Government, especially the Chief Minister is writing the letter, agitation is going on, there is a commitment by the Union of India by way of an Accord, we should have honoured it. When the Chief Minister is writing a letter, it should not be thrown into the dustbin. It is being written for a problem of the State. Sir, a very unfortunate situation is prevailing in the Union of India. Sorry, Sir, I am not accusing the people. Treasury Benches people are sitting. I am not accusing them. Kindly consider this nation as a federal nation. I am also experiencing the same as a Member of Parliament. We may be reduced to some level in the Parliamentary democracy but still when our Government in Tamil Nadu write a letter, it is not being respected. Our opposition to imposing of a Governor on our State was not properly respected, was not properly looked into. For only hosting a tea party, the Governor was sent out It is very unfortunate situation, may be due to compulsions from some other quarters.

Sir, regarding the detection and deportation, and, deletion of names in the voters' list, I would say, may be there is a peculiar problem in

Assam but the Government is here only to address the problems. The Government is not here to cut the ribbons in unveiling certain issues or buildings, the Government is not here for *tamasha*. The Government is here for seeing the problems and providing remedy to the problems. We must face it. God has given you the responsibility on your shoulders that you could have taken to the level, which is respected by the people. Unfortunately, this was not properly addressed and this has resulted in striking down of the entire Act. For that, the people of Assam are quite happy. Instead of the Union Government coming to their rescue, at least, the Supreme Court has come to their rescue.

Sir, I appeal to the Treasury Benches to please rise above party politics. The Supreme Court in paragraph 6 of the judgement has said that there is no need to withdraw the earlier affidavit, stating that the Act should be withdrawn. Whereas the subsequent Congress Government usurped itself into the position and filed an application to modify the affidavit, saying that this is Constitutionally valid. Now, it has been said that it is not Constitutionally invalid. What happens to the honour of the Government? Sir, the Government is a running body. It is not an indvidual; it is not a party. You are answerable to the public. People are looking at you. A chance has been given to you to run this country. It does not mean you can do anything, whatever you want.

This is the reason why the Supreme Court said, "You have not done your duty propely. Let us strike it down". Now, Sir, the position is, if you want to have special attention on Assam and avoid the migrants, please, do something concrete. If you want some special powers to be added, please come with a concrete enactment which could be accepted by the Supreme Court and the people of Assam. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Indramoni Bora, Your party's time is over. You have only about five minutes.

SHRI INDRAMONI BORA (Assam): Sir, I am from Assam. So, I should be given some special consideration.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why, even though your party's time is over, we are still giving you time.

SHRI INDRAMONI BORA: Then, if time is over, I do not want to say anything. This is ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am just reminding you that unlimited time cannot be given. *...(Interruptions)...*

SHRI INDRAMONI BORA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to take part in the discussion. I fully agree with what my leader and the mover of the motion has said But, this is not a debate. So, I do not want to argue on what the Congress Member and the Member from the Left said, because it is their nature that they are opposing this issue. And, according to the Congress Chief Minister, earlier and now also, there is not a single infiltrator from Bangladesh in Assam. So, if there is no single infiltrator from Banagldesh ...(Interruptions)...

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE (Assam): Who said this? There is no statement by the Chief Minister. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhattacharjee, please, ...(Interruptions)..you will also be given time ...(Interruptions)..

SHRI INDRAMONI BORA: Please. don't interfere. ...(Interruptions)...P\ease don't interfere ...(Interruptions)...So, if there was no infiltrator, why was the IMDT Act enacted In 1983? ...(Interruptions)...Please, don't disturb. Yes, don't disturb. You are my good friend from Assam. ...(Interruptions)...So, Sir, the IMDT Act was scrapped. I am not going to say what is going to happen now. But, we have got a doubt and the people of Assam have got a doubt as to what this Government will do now. The people of Assam are thinking like this because the Assam Chief Minister is saying, "We will start the NRC. We will amend the Foreigners' Act, this and that". You cannot deny this. So, one thing I would like to ask. The Home Minister is present here. In his reply to Question No. 146, dated 03.08.2005, in this House, he said that he had all opinions on the question of detection and deportation of illegal migrants. I have a guestion. When you introduced the IMDT Act in 1983, did you consult the people of Assam? You are going to discuss it with all concerned. Which concerned? The Bangladeshi lobbies, the people who do not want that Assam should be free from infiltration? Please, Sir, do justice to Assam and the people of Assam because Assam, and the North-East, is a part of India. You cannot say that there is no infiltrator in Assam. There are lakhs and lakhs of infiltrators. The hon. Home Minister, in his public statement,

has said several times that they are poor people; they have come to India for their livelihood. Hon. Home Minister, in India also, we have got lakhs and lakhs of poor people who cannot make both ends meet. Out ten Five-Year Plans have also not been able to take care of Indian poor. We have got our own problems....(Interruptions).

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, the hon. Member is saying that I have made some statements.

SHRI INDRAMONI BORA: ! have said that I have read your statement in newspapers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot refer to newspaper statements.

SHRI SHIVRAJ V PATIL: Sir, the manner in which he is presenting my statement, is totally wrong.

SHRI INDRAMONI BORA: I agree. But these people, these infiltrators, have not come here only due to. economic reasons. As my Leftist friend has said, they are from Al-Qaeda. They are the people who are not friends of our country. You say that Bangladesh is our friend. But they a;e killing our BSF personnel. They are giving training to the insurgent groups of North-East in their country. How can be they our friends? Moreover, as per the Assam Accord, India will retain those people who came prior to 25th March 1971. Who were those people? They were all Pakistanis. Bangladesh was formed after 25.03.1971. But you are making all pre-Pakistanis, who came to Assam in the beginning, Indian citizens by a stroke of pen. If you want to keep them on humanitarian ground, you cannot throw them also. But our appeal will be that you identify them, delete their names from the voter list and don't give them any political power. It is said in Assam that these people come and by some means, they become voter, then they become MLAs, and then Ministers. What Pandit Jawaharlal Nehru wrote to Gopinath Bordoloi in 1949? He said, "Some of your Ministers want Muslims from East Bengal than Hindus from West Bengal." That was the mindset of your people in the year 1949. Only to rule Assam, you should not do this. Think of the people of Assam and think of the people of India, of the people of the North-Eastern States. The people of the North-East feel that a day will come when this North-Eastern

5.00 р.м.

region will not be within the map of India. In the meantime, there were many maps published in local papers that this area will be part of a greater Islamic State along with Bangladesh. These are the apprehensions in the minds of the people of Assam.

The hon. Member, Shri Pramod Mahajan, said about displaced persons. I also agree with him. But infiltrators, mostly, are Muslims. When we talk of deportation of illegal migrants, they say that the BJP is making a Hindu-Muslim issue. This is not a Hindu-Muslim issue. Why these people, whether they are from West Pakistan or East Pakistan, came to India? It was because of persecution. Not only Bengali Hindus came, but also Sikhs, Jains, Buddhists, all came to Assam and took shelter. But when we asked to give protection to the displaced persons, they said, "Why are you making a Hindu-Muslim issue?" This is not a Hindu-Muslim issue. Mr. Pramod Mahajan had already said about what Dr. Manmohan Singh felt or what General Chowdhury felt. But there should be a special provision. In Bangladesh, still there are some Hindus. I can tell you, Sir, that those Hindu people will not be able to stay in Bangladesh. Today or tomorrow, they have to come. I have to say that only Assam or Bengal or any particular State cannot take the whole lot of people coming from Bangladesh. There should be a National Refugee Policy or National Policy on Displaced Persons, so that when people come either from West Pakistan or East Pakistan to India, it will be the Government of India's moral duty to give them protection.

We do not make any Hindu-Muslim issue. But as the infiltrators, they are coming to Assam from East Pakistan, now Bangladesh. They are mostly Muslims and when we say that infiltrators must be driven out, people say that we are making it a Hindu-Muslim issue. This is not a Hindu-Muslim issue. This is an issue between Indians and non-Indians. Thank you, Sir.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Sir, I rise to participate in the discussion, initiated by Shri Pramod Mahajan. He criticised the Congress Government that the Congress Party is responsible for this Act. In whichever regime this Act has come, I want to explain it here briefly.

[22 August, 2005]

As you all are aware, the IMDT Act was enacted under special circumstances because of the agitation launched by the AASU against foreigners numbering about 50 lakh. This created apprehensions in the minds of the minorities. Fifty lakh means almost all. The religious minorities, not religious but linguistic minorities were dubbed as foreigners. And mainly, the BJP blamed Muslims as the only foreigners. I beg to differ. I am a Brahmin. I will give some statistics. In order to provide safeguards to the genuine Indian citizens, the Act was enacted to detect foreigners, through a judicial process. And that is the reason why we have been supporting it. Not only we, even the then AASU, as well as the BJP, also supported the continuation of the IMDT Act in the Assam Accord. The then AASU who signed the agreement with the Government of India agreed to it that foreigners who came to Assam before 25th March, 1971 should be detected by the IMDT Act. And those who came between 1966 and 1971 should be detected through Foreigners Act. Even Assam Accord also provides two categories of foreigners to be dealt with by two different Acts-one is under Foreigners Act and another by IMDT Act. One thing, Sir, I must say, when this movement was started, there was a statement in the Parliament and the concerned Members spoke. Perhaps, in view of that, there was no such movement against Muslims after and before 1971. Our beloved leader, Shrimati Indira Gandhi, had taken such steps and Bangladesh became independent. At that time, the BJP was not on the political radar, I must say. But, unfortunately.an unforeseen thing happened when the Janata Party entered into an unruly alliance; and came in power in 1978. They just smeared the soil of India with the blood of Hindus and Muslims. Bengalis and Assamese, Harijans and non-Harijans, tribals and non-tribals in their twoand-a-half years of rein of terror. It is they who instigated the agitation in Assam. Originally in 1978, the students started an economic blockade. First of all, it was an economic movement. Again, it reverted to political movement. There was a big conspiracy. In 1988, students started the economic movement with the slogan, "You Indians Go" because Assam felt neglected by the Central Government. The agitated youths of Assam did not get any appointments in the Central Government undertakings or any Central Government Departments. When Janta Party Government came into power, they tried to woo the students. Why! Perhaps, you remember, our great leader.

Shrimati Indira Gandhi, who was elected from Chickmagalur, was removed inhumanly, injudiciously and criminally from the membership of the Lok Sabha. Then suddenly, one Hira Lal Patwari, who was the hon. Member of the Lok Sabha, and who represented the Mangaldoi constituency, spread this news throughout the country that Shrimati Indira Gandhi was going to contest from the Mangaldoi Constituency in Assam. At that time, Mr. Barua was the Chief Minister in the Janata Government. Sir, the ruling party as well as the Government itself started the propaganda that there were 50 lakh Bangladeshi nationals in the electoral roll of the Mangaldoi constituency, and unless and until their names were detected from the electoral rolls of the Mangaldoi Parliamentary constituency, there could not be any by-election. In this way, it was the Janata Government who started this movement of deportation of Bangladeshis, which was originally an economic movement started by the students. When Mr. Barua gave these students finance and provided them wages, they started this propaganda against certain section of people. At that moment, one Mr. Poorna Narayan Singh, who was a Member of the Lok Sabha made an inflammatory speech saying that there were 34 lakhs Bangladeshi nationals in Assam and they should be deported. A copy of this speech was circulated in every house in Assam and the Assamese people got frightened for their existence and survival. So, this movement took a turn from the economic movement to a political movement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhattacharjee, you have to conclude within two minutes.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: No, Sir. I must complete my speech because I was a witness to this movement. Please give me some time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much time do you require?

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: At that time, I was witness in this movement. In 1980 there was no Lok Sabha election in Assam. From the Barrak Valley Parliamentary constituencies, only two M.Ps were elected. In fact, All Asom Students Union was one of the signatories to the Assam Accord. Shri Rajiv Gandhi had taken this

step. In fact, there were so many agreements, Punjab Agreement, Mizoram Agreement and Assam Accord. At the time of this Accord, Mr. Hiteshwar Saikia was the Chief Minister of Assam and the Congress Party was in power. But according to Shri Rajiv Gandhi, the country was more important than his Government. So, Shri Rajiv Gandhi directed Mr. Hiteshwar Saikia to resign, and these students, they had come to power in 1985 in the name of AGP. At that time, I was the member of the Assam Legislative Assembly. At least, the Congress Party has sacrificed on this national issue, not the BJP. Pramodji has criticised us. I would like to know one thing. You were in power for six years. What have you done on this issue? AASU signed this agreement, that is, the Assam Accord. Now, one Mr. Sonowal has filed a case in the Supreme Court. I do not know about the Supreme Court's judgment. But I must share the feelings which I have.

The Assam Accord supported the IMDT Act. Sir, at that time Sarbananda Sonowal was not the President of AASU, in 1988-AASUwanted only that the Government of India should give due consideration to remove certain difficulties regarding the implementation of the IMDT Act, 1983 (Clause 5.9 of the Assam Accord). If the BJP when headed the NDA Government at the Centre up to 2003 considered that the IMDT Act, 1983 was not effective, they should have held discussion with the State Government. Neither the then Prime Minister, hon. Atalji, nor the then Home Minister, hon. Advaniji, ever held any discussion with Shri Tarun Gogoi, Chief Minister, nor the BJP led Government at the Centre discussed the matter with the Government of Assam. No record of discussion with the State Government regarding the socalled failure of the IMDT Act, 1983 during their six years period is available.

In the detection of illegal migrants under the IMDT Act, 1983, it is seen that out of 1.10 lakhs, only, approximately, 46,900 were Hindus and approximately 60,000 were Muslims.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhattacharjee, there are three other Members from Assam, who also want to speak.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Sir, I am going to finish it now.

So, it clearly shows that there is no communal overtone in the infiltration of Bangladeshis to the State of Assam.

Moreover, it is the Congress led UPA Government at the Centre, which has given priority to solving the foreigners issue in Assam in coordination with the Congress Government in the State. The Union Home Minister, Shri Shivraj V. Patil, himself reviewed the implementation of the Assam Accord at Guwahati. Further, the tripartite talks were held at the level of Prime Minister, AASU and the Government of Assam after a long gap of 18 years, on May 5, 2005, and several importnat decisions were taken like streamlining the procedure under the IMDT Act, updating of tha National Register of Citizens by including the names of persons from the electoral rolls up to 1971 and their descendents, completion of 71 kms. of remaining Indo-Bangladesh Border fencing, repair of 150 kms. of phase-I fencing, etc. due to the initiatives taken by our Home Minister, Mr. Shivraj V. Patil, not by the previous Government, neither by the BJP nor by the AGP. They had not taken a decision. And you are blaming the Congress Government! It is not against the religious minorities. We want genuine citizens should stay in India, whether they are Muslims or Buddhists or Christians or Hindus, *i.e.* the religious minorities. That is why, this Act was enacted. So, this is my appeal to all the hon. Members. And I also welcome the suggestion made by hon. Shri Pramod Mahajan that all political parties should sit together and take some decision for finding a permanent solution. Thank you, Sir.

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of the recommendations contained in the second, fifth, sixth and seventh reports of the departmentrelated parliamentary standing committee on railways

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI NARANBHAI RATHWA): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the Second, Fifth, Sixth and Seventh Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways.